कार्यालय अधिष्ठाता छात्र मामले
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

कार्यालय आदेश

अवगत कराना है कि छात्र/छात्राओं द्वारा छात्र कल्याण निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किये गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा मालवीय छात्र कल्याण निधि नियमावली-2020 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में हुए विचार-विमर्श एवं परिक्षणोपरान्त संस्तुति की गई। उक्त संस्तुति के क्रम में निम्नानुसार फीस की धनराशि माफ करने/सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति माननीय कुलपति महोदया द्वारा प्रदान कर दी गयी हैं। छात्र/छात्राओं का विवरण निम्नवत है :-

<table>
<tr><th>Sl. No</th><th>Student/Father Name</th><th>Roll No.</th><th>Course/Branch</th><th>Assistance (Rupees)</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>01.</td><td>Mr. Shivam Mishra</td><td>2024031148</td><td>B. Tech-EE (IV)</td><td>72,500.00</td><td rowspan="4">छात्रों के पिता का देहान्त बीमारी के कारण होने से उक्त छात्रों द्वारा छात्र कल्याण निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा परिक्षणोपरान्त संस्तुति की गई कि सत्र 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति से प्राप्त धनराशि को आधार मानते हुये सत्र 2026-27 में विश्वविद्यालय की कुल फीस में से पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में प्राप्त धनराशि को घटाते हुये देय शेष शुल्क छात्र कल्याण निधि से किया जायेगा। साथ ही सत्र 2026-27 में छात्रों द्वारा अनिवार्य रूप से छात्रवृत्तिं का फार्म भरा जायेगा। छात्रवृत्ति के माध्यम से जितनी धनराशि छात्रों को प्राप्त होती है, उसके प्रमाण के साथ उक्त छात्रों द्वारा छात्र कल्याण निधि हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्रों को आगामी सत्र 2027-28 के विश्वविद्यालय शुल्क की शेष धनराशि का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया जायेगा। साथ ही यदि छात्र को छात्रवृत्ति नही प्राप्त होती है तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा उक्त छात्रों के समस्त विश्वविद्यालय शुल्क को छात्र कल्याण निधि से प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>02.</td><td>Mr. Akshat Patel</td><td>2024041204</td><td>B. Tech-ECE (IV)</td><td>62,600.00</td></tr>
<tr><td>03.</td><td>Ms. Shikha Verma</td><td>2024041252</td><td>B. Tech-ECE (IV)</td><td>66,200.00</td></tr>
<tr><td>04.</td><td>Mr. Tejasv Kumar</td><td>2025062009</td><td>B.Tech-CHE (IV)</td><td>70,400.00</td></tr>
<tr><td>05.</td><td>Mr. Aditya Dev Srivastava</td><td>2024061005</td><td>B. Tech-CHE (IV)</td><td>1,29,500.00</td><td>छात्र का समस्त विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान इस शर्त के साथ विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण निधि द्वारा वहन किया जायेगा कि छात्र द्वारा सत्र 2026-27 में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा अन्य संस्था द्वारा दिये जाने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया जायेगा। छात्रवृत्ति के माध्यम से जितनी धनराशि छात्र को प्राप्त होती है, उसके प्रमाण के साथ छात्र द्वारा पुनः छात्र कल्याण निधि हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर छात्र को सत्र 2027-28 के विश्वविद्यालय शुल्क की शेष धनराशि का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया जायेगा। साथ ही यदि छात्र को</td></tr>
</table>

					छात्रवृत्ति नही प्राप्त होती है, तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा समस्त विश्वविद्यालय शुल्क को छात्र कल्याण निधि से प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जायेगा।
06.	Mr. Hariom	2025071130	B. Tech.- IT (II)	Nil	छात्र द्वारा सत्र 2025-26 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का फार्म भरा गया था। जिसके कम में अनुसूचित जाति के छात्रों को सम्पूर्ण विश्वविद्यालय शुल्क, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा कर दी जाती है। अतः समिति द्वारा छात्र को निर्देशित किया गया कि छात्र द्वारा सत्र 2026-27 में अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति का फार्म भरा जायेगा। छात्रवृत्ति के माध्यम से जितनी धनराशि छात्र को प्राप्त होती है, उसके प्रमाण के साथ छात्र द्वारा छात्र कल्याण निधि हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्र को आगामी सत्र 2027-28 के विश्वविद्यालय फीस की शेष धनराशि का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया जायेगा। साथ ही यदि छात्र को छात्रवृत्ति नही प्राप्त होती है, तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा समस्त विश्वविद्यालय फीस को छात्र कल्याण निधि से प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

(प्रो0 जय प्रकाश)
अधिष्ठाता, छात्र मामले

पत्रांक/मा0प्रौ0वि0/अधि0छा0मा0/INC_142/511/2026
दिनांकः 01 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

01. वै0सहा कुलपति, माननीय कुलपति महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
02. कुलसचिव।
03. वित्त नियंत्रक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. अधिष्ठाता स्नातक अध्ययन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/परीक्षा नियंत्रक।
06. मुख्य छात्रावास अधीक्षक।
07. सम्बन्धित छात्रगण/अभिभावक।
08. वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(प्रो0 जय प्रकाश)
अधिष्ठाता, छात्र मामले